



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pecfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5B/Budget (NP)-D/A/04 (2015-16) 3816

दिनांक: 4/12/15

प्रेषक: बी०सी० निगम, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, च
झारखंड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक-29/ बी०टी०ई०-18/2014-15 /300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक-7/यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015 एवं पत्रांक-4/गै०यो०ब०-32/2015- 5813 राँची, दिनांक 16.11.2015।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक पत्रांक-4/गै०यो०ब०-32/2015- 5813 राँची, दिनांक 16.11.2015 (छायाप्रति संलग्न) से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के के आलोक में "01-निदेशन एवं प्रशासन" उपशीर्ष के 21-प्रचार/प्रसार/सेमिनार (19N240601001010321) इकाई में 25,00,000/- रु० (पच्चीस लाख रु०) की आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग, झारखंड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी०टी०ई०-18/2014-15 /300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक- 7/यो०ब०-24/2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-4-05/98 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/ 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटित राशि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार का ज्ञापांक 5050, दिनांक 18.09.2015 के आलोक में न्यायिक अकादमी भवन, झारखंड के प्रांगण में दिनांक 10.10.2015 को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर परिचर्चा का आयोजन किये जाने पर हुये व्यय राशि के भुगतान हेतु है।

आवंटन आदेश पत्र संख्या- BRADA/01-15-16/81B की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु०-यथो०:

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

ज्ञापांक 3816

दिनांक 4/12/15

प्रतिलिपि- Envis Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

PCCF, JHARKHAND

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नलिखित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - BRADA/01-15-16/81B

दिनांक - 02-Dec

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	N 19 240601001010321 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 001 . निदेशन तथा प्रशासन 01 . निदेशन एवं प्रशासन 03 . प्रशासनिक व्यय 21 . प्रचार/प्रसार/सेमिनार	78655	DRNFWL005 PRIYESH KUMAR VERMA R.C.C.F.RANCHI	2,500,000.00 रुपये पच्चीस लाख



योग:

2,500,000.00

क्रमिक योग:

रुपये पच्चीस लाख

[Signature]
(B. C. NIGAM)

PCCF, JHARKHAND, RANCHI

Principal Chief Conservator of Forests

Run Date: 2/12/2015

(144)

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्रांक-4/गै0यो0 बजट-32/2015 5513

राँची, दिनांक-16.11.2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

20 NOV 2015

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड
4689

Budget
20/11

विषय:- गैर योजना मुख्य शीर्ष -2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-01 निदेशन एवं प्रशासन, विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, प्राथमिक इकाई-21- प्रचार/प्रसार/सेमिनार (विपत्र कोड- 19N240601001010321) रु0 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रुपये मात्र झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- योजना-सह-वित्त विभाग का ज्ञाप संख्या- 27/JCF-14/2015-16 दिनांक-03.11.2015 का क्रमांक-29/सी० एफ०।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगाधीन स्वीकृत्यादेश प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि गैर योजना मुख्य शीर्ष -2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-01 निदेशन एवं प्रशासन, विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, प्राथमिक इकाई-21- प्रचार/प्रसार/सेमिनार (विपत्र कोड-19N240601001010321) में रु0 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रुपये मात्र की राशि झारखण्ड आकस्मिकता निधि से स्वीकृत है।

अतएव अनुरोध है कि उक्त के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभूजन,

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव



सत्यमेव जयते

झारखंड राज्य

आकस्मिकता निधि से अग्रिम हेतु आवेदन-पत्र

मुख्य शीर्ष "2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी" (गैर योजना) अंतर्गत वित्तीय वर्ष
2015-2016 के लिए

वि० वि० संख्या बी.टी.एफ. 42

सचिका संख्या - ५/जे०.पो०.ख०-32/2015

अनुदान संख्या - 19

विभाग का नाम:- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार

गैर योजना/योजना:- गैर योजना

केन्द्रीय योजनागत योजना:-

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना:-

अनुलग्नक-1

वित्त विभाग की अनुसूची
क्रमांक 22/1/15

(यह क्रमांक शीर्षवार होगा)

(अनुपूरक सहायक द्वारा भरा जाएगा)

मतदेय/प्रभुत

2015-2016 के लिए राज्य के राजस्व पर व्यय के लिए झारखण्ड आकस्मिकता निधि से आगणन के विवरण

शीर्षक, मद, विवरण	वर्ष 2015-16		वर्ष 2015-16	वर्ष 2015-16	वर्ष 2015-16	वर्ष 2015-16	वर्ष 2015-16	वर्ष 2015-16
	आवृत्ति	अनुपूरक	वर्ष 2015-16	वर्ष 2015-16	वर्ष 2015-16	वर्ष 2015-16	वर्ष 2015-16	वर्ष 2015-16
अनुदान नियोजन लेखा होगा	2	3	4	5	6	7	8	
नई योजना/पुरानी योजना								
मुख्य शीर्ष - 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी								
उप-मुख्य शीर्ष - 01- वानिकी								
तयु शीर्ष - 001-निदेशन तथा प्रशासन								
उप शीर्ष - 01-निदेशन एवं प्रशासन								

विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय/Administrative Expenses
21-प्रचार/प्रसार/समिति/ Publicity/Dissemination/Seminar
19N240601001010321

नवनिर्मित न्यायिक अकादमी भवन, प्रागण में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन परिचर्चा हेतु 21-प्रचार/प्रसार/ इकाई में 25.00 लाख रु० अतिरिक्त आवश्यकता है।

कुल योग -

26000000	100000	100000	26000000	25000000	25000000	25000000	25000000	25000000
----------	--------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

नोट:- जो लागू नहीं हो उन्हें काट दें।

(2) अपूर्ण/अशुद्ध अनुसूची की स्थिति में प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

आ.स.मु. रीय (वित्त) 6-5000-14-12-2000-शनि मुण्डा।

प्रमुख, पब्लिक रीय ऑफ फो
Jharkhand, Ranchi